

From,  
**Amit kumar Tiwari**  
Addl.Civil Judge(junior division),  
GHAZIPUR.

To,  
**The Registrar General,**  
Hon'ble The High Court of judicature,  
ALLAHABAD.

Through,

**The District Judge,**  
GHAZIPUR.  
Endorsement No.....Ghazipur,Date.....2010.

**Sub: Submission of Statement Relating to Movable & Immovable  
Property At The Date of Joining 3<sup>rd</sup> July 2009.**

Sir,  
The aforementioned statements as Required by the **C.L.No. 63/IV-  
h/16/Admin(A),Dt.10.12.98** and **C.L.No.16/IV-h-16/Admin (A) Dt.13-05-04**  
are enclosed herewith for the kind perusal of The Hon'ble Court and for the  
records.

With regards.

Yours sincerely,

Encl. As above.

**(Amit Kumar Tiwari)**  
Addl.Civil Judge(junior division),  
GHAZIPUR.

प्रेषक,  
अमित कुमार तिवारी,  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
न्यायालय संख्या- ४ मथुरा।

सेवा में,  
माननीय महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा  
माननीय जनपद न्यायाधीश,  
मथुरा।

विषय- प्रोपर्टी विवरण प्रपत्र के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरे द्वारा सम्पत्ति विवरण न्यायिक सेवा के नियुक्ति के समय माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया था। परन्तु बाद के वर्षों की सम्पत्ति के विवरण समय से प्रेषित नहीं किये जा सके हैं। उसका कारण यह था कि प्रार्थी पूर्व में प्रवक्ता, सैन्य विज्ञान के पद पर रा०इ०का० थल पिथौरागढ़ में नियुक्त था। उक्त समय के खातों की पासबुक, एफ० डी० एवं एन एस सी के अभिलेख आदि स्थानान्तरण के समय ऐसी जगह रख गये थे जो बार-बार खोजने पर भी नहीं मिल रहे थे। हाल ही में वह अभिलेख मिल पाये हैं इसके पश्चात नियमानुसार सम्पत्ति विवरण प्रपत्र वर्ष २०१०-२०११, २०१२-२०१३, २०१४-२०१५, २०१६-२०१७ तैयार कराकर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

प्रार्थी की यह भी विनम्र प्रार्थना है कि सम्पत्ति विवरण प्रपत्र प्रेषित करने में जो विलम्ब हुआ है उसे माफ करने की महती कृपा करें।

सादर,

दिनांक- ०४.०४.२०१९

भवदीय,

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मथुरा  
पत्रांक 609/I दिनांक 04/04/19  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

*Amit Kumar*

(अमित कुमार तिवारी)  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
न्यायालय संख्या-४ मथुरा।

ID 1734

संलग्नक-

04/04/2019

- १- खातों की छाया प्रतियां
- २- पी०पी०एफ० खाते की छाया प्रति
- ३- एन एस सी की छाया प्रति
- ४- एफ डी की छाया प्रति
- ५- एल आई सी पॉलिसी की छाया प्रति
- ६- एल आई सी स्मार्ट परफोरमर की छाया प्रति

प्रेषक,

**अमित कुमार तिवारी,**  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,  
(रेप एण्ड पाक्सो एक्ट), कोर्ट नं० 4,  
कुशीनगर स्थान-पडरौना।

सेवा में,

**माननीय महानिबन्धक,**  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

**माननीय जनपद न्यायाधीश,**  
कुशीनगर स्थान पडरौना।

विषय:- आवासीय प्लॉट आबंटन व क्रय किये जाने के सम्बन्ध में सर्कुलर लेटर नं० 25 admin-A Dated 13.07.1998 में दिये गये निर्देशानुरूप क्रय किये गए आवासीय प्लॉट के सम्बन्ध में विन्दुवार आख्या।

आदरणीय महोदय,

पत्र संख्या 10960/ IV-3758/ Admin (A) /Dated 20.08. 2019 के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि कानपुर विकास प्राधिकरण में हाइवे सिटी स्कीम सन 2015 में प्रार्थी ने भूखण्ड हेतु आवेदन किया था जिसके क्रम में प्रार्थी को लाटरी प्रक्रिया के तहत भूखण्ड आबंटन सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी ने उसी समय भारतीय महिला बैंक कानपुर में खाता संख्या 65292145370 खोलकर लोन खाता संख्या 65294106257 से धनराशि 400,000/-रुपये लेकर आवेदन किया था। तत्पश्चात प्रार्थी को दिनांक 29.02.2016 को लाटरी में आबंटन की सूचना प्राप्त हुई थी जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.03.2016 को 30 लाख रुपये एस.बी.आई.होम लोन खाता संख्या 35637195611 से लोन लेकर तथा 6,42,600/-रुपये अपने बचत खाता संख्या 30817488065 का सम्मिलित करते हुए ड्राफ्ट संख्या 427346 के माध्यम से कानपुर विकास प्राधिकरण को कुल 36,42,600/-रुपये अदा किये गये और उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री दिनांक 12.11. 2018 को कराई गयी, जिसमें स्टाम्प शुल्क अपने खाते से आर.टी.जी.एस./नेफ्ट द्वारा 3,32,000/-रुपये अदा करते हुए कराया गया है तथा भूखण्ड का फ्री होल्ड भुगतान मु० 5,07,880/-रुपये खाता संख्या 30817488065 से चेक द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण को अदा किया गया है। उक्त आवासीय प्लॉट क्रय किये जाने की सूचना मय सम्बन्धित अभिलेख प्रेषित की जा रही है, जो विन्दुवार निम्नवत है:-

1- मैंने दिनांक 03.07.2009 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया

20-8-20

- है तथा वर्तमान में मेरा कुल वेतन अन्य भत्तों सहित मु०- 156157/- रुपये है।
- 2- माह सितम्बर 2019 के वेतन विवरण के अनुसार कुल देय वेतन मु०- 151002/- रुपये है।
  - 3- मेरे द्वारा एक माह के मूल वेतन की चल व अचल सम्पत्ति में एक मारुती कार वैगन आर माडल सन 2010 वाहन संख्या यू.पी.65 AW/1481 क्रय की गयी है जिसकी सूचना पूर्ण में माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद को वाहन क्रय किये जाने के पश्चात निर्धारित प्रारूप में प्रेषित की जा चुकी है।
  - 4- प्रार्थी ने हाइवे सिटी स्कीम में सन 2015 में तत्समय भारतीय महिला बैंक कानपुर में खाता संख्या 65292145370 खोलकर लोन खाता संख्या 65294106257 से धनराशि 400,000/-रुपये आवेदन किया था जिसके बाद प्रार्थी को दिनांक 26.02.2016 को लाटरी में आबंटन की सूचना प्राप्त हुई थी जिसके क्रम में प्रार्थी ने दिनांक 16.03.2016 को 30 लाख रुपये एस.बी.आई.शाखा डेरापुर,कानपुर देहात से होम लोन खाता संख्या 35637195611 द्वारा लोन लिया तथा 6,42,600/-रुपये अपने बचत खाता संख्या 30817488065 की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि 36,42,600/-रुपये ड्राफ्ट संख्या 427346 के माध्यम से कानपुर विकास प्राधिकरण को अदा किये गये जिसमें प्रार्थी की प्रत्येक माह की लोन किश्त 28,700/-रुपये कटौती की जा रही है तथा उक्त लोन की धनराशि अब 192 किश्तों में अदा होनी है।
  - 5- उक्त आवासीय प्लॉट के पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क अपने खाते से R T G S/ NEFT के द्वारा 3,32,000/-रुपये राज्य सरकार को अदा करते हुए e-stamp प्राप्त किया गया है तथा भूखण्ड का फ्री होल्ड भुगतान मु० 5,07,880/-रुपये अपने बचत खाता संख्या 30817488065 से चेक द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण को अदा किया गया। लोन की अदायगी मु०- 28,700/-रुपये बतौर किश्त प्रतिमाह की दर से प्रार्थी द्वारा की जा रही है।
  - 6- प्रार्थी द्वारा कोई सेकेण्ड हैंड कार क्रय नहीं की गयी है।
  - 7- प्रार्थी द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण में हाइवे सिटी योजना के अन्तर्गत आवासीय प्लॉट संख्या A-81/A Type-A की रजिस्ट्री कराई गयी है जो कानपुर विकास प्राधिकरण के हाइवे सिटी योजना में अवस्थित है।
  - 8- उपरोक्त आवासीय प्लॉट कानपुर विकास प्राधिकरण,मोतीझील, कानपुर से क्रय किया गया है।
  - 9- कानपुर विकास प्राधिकरण शासकीय विभाग है।
  - 10- कानपुर विकास प्राधिकरण जिससे आवासीय प्लॉट क्रय किया गया है,से मेरा कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं है और न ही लखनउ विकास प्राधिकरण का कोई मामला मेरे न्यायालय में लम्बित है। प्रार्थी कभी भी सिविल कोर्ट, कानपुर में

पदास्थापित नहीं रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण सम्बन्धी किसी मामले में मेरे द्वारा कोई फ़ैसला नहीं किया गया है।

11- कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर द्वारा हाई-वे सिटी स्कीम के अन्तर्गत भूखण्ड आबंटन हेतु निर्गत सूचना के अनुक्रम में मेरे द्वारा भारतीय महिला बैंक कानपुर में खाता संख्या 65292145370 खोलकर लोन खाता संख्या 65294106257 से मु० 400,000/-रुपये लेकर आवेदन किया गया तथा दिनांक 29.02.2016 को लाटरी में आबंटन की सूचना प्राप्त हुई जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.03.2016 को 30 लाख रुपये एस.बी.आई.होम लोन खाता संख्या 35637195611 से लोन लेकर तथा 6,42,600/-रुपये अपने बचत खाता संख्या 30817488065 का सम्मिलित करते हुए ड्राफ्ट संख्या 427346 के माध्यम से कानपुर विकास प्राधिकरण को कुल 36,42,600/-रुपये अदा किया गया है और उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री दिनांक 12.11.2018 को कराई गयी है जिसमें स्टाम्प शुल्क अपने बचत खाते से आर.टी. जी. एस./ नेफ्ट द्वारा 3,32,000/-रुपये से भुगतान किया गया तथा भूखण्ड का फ्री होल्ड भुगतान मु० 5,07,880/-रुपये खाता संख्या 30817488065 से चेक द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण को किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त भूखण्ड की कीमत मु० 36,42,600/-रुपये उपरोक्तानुसार भुगतान की गयी है तथा आवासीय प्लॉट के पंजीकरण हेतु मु० 400,000/-रुपये भारतीय महिला बैंक कानपुर में खोले गये लोन खाता संख्या 65294106257 से प्राप्त किये गये एवं मु० 3,32,000/-रुपये स्टाम्प शुल्क अपने बचत खाता संख्या 30817488065 से RTGS/ NEFT के माध्यम से अदा किया गया है। चूंकि प्रार्थी का प्रोन्नत पर स्थानान्तरण जनपद कुशीनगर स्थान पड़रौना हो गया जिसके कारण अभिलेख पुनः दूढ़ने व एकत्र करने में समय लग गया है।

अतः विलम्ब को माफ करने की कृपा के अनुरोध के साथ, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर से भूखण्ड क्रय किये जाने के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना मय अपेक्षित अभिलेख माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखे जाने हेतु महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सादर !

भवदीय

*Amit Kumar*

(अमित कुमार तिवारी)

दिनांक-20.03.2020

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश  
(रेप एण्ड पाक्सो एक्ट), कोर्ट नं० 4,  
कुशीनगर स्थान-पड़रौना



संलग्नक:-  
REDMI NOTE 8  
AI QUAD CAMERA

1. कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के आबंटन पत्र की छायाप्रति

P.T.O

- 2- स्टेटमेंट आफ एकाउण्ट एस.बी.आई. की छायाप्रति
- 3- स्टेटमेंट आफ एकाउण्ट एस.बी.आई. की छायाप्रति
- 4- होम लोन सम्बन्धी विवरण की छायाप्रति
- 5- के.डी.ए. कानपुर को अदा की गयी धनराशि की डी.डी. की छायाप्रति
- 6- भुगतान रसीद की छायाप्रति
- 7- बिक्रय विलेख मय नक्शा सम्बन्धित भूखण्ड की छायाप्रति 7 अदद.
- 8- स्टेटमेंट आफ लोन एकाउण्ट की छायाप्रति

राजस्थान सरकार राजस्थान न्यायपालिका न्याय-सहायक

संख्या 161/71

दिनांक 23.02.2024

न्याय-सहायक

राजस्थान न्यायपालिका